www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-6* *June 2025***

असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययनः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कृष्ण मोहन

शोधार्थी समाजशास्त्र, अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर, कानपुर देहात

डॉ0 रश्मि पाण्डेय

असिस्टेण्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात

सारांश

महानगरों में नौकरी करने वाली मध्यमवर्गीय महिला की त्रासदी किसी सजा से कम नहीं सुबह उठकर जल्दी–जल्दी घर के काम फिर पूरे दिन ऑफिस का काम फिर बसों में धक्का खाना, शारीरिक उत्पीड़न सहना भीड़ में अश्लील फिकरे सुनना, शाम को फिर घर–परिवार के कामों में लग जाना। कार्यशील महिला के बोझ को जानबूझकर भुला दिया जाता है, आज वास्तविकता यह है कि नारी सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता के परचम लहलहा रही हैं लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि कार्यशील नारी को कोई समझने को ही तैयार नहीं है दुनिया में बदलाव तीव्रगति और हर तरफ से हो रहा है। पढ–लिखकर विकास की दौड़ में आ खड़ी हुई महिलायें कामकाज की दुनिया में शामिल हो रही हैं आज महिलाएं शिक्षा एवं जीविका के साधनों के लिए किसी की मोहताज नहीं हैं। आज नारी को अपनी बात कहने एवं स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। आज समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, वह अपना जीवन अपने ढ़ती जा रही है महिला श्रम का अधिकांश हिस्सा कृषि और व्यापार के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंधकों का मानना है कि स्त्री श्रम का उपयोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है महिलायें सहनशील होती हैं शिकायत नहीं करती हैं और ट्रेड यूनियन के चक्कर में बहुत ही कम पड़ती हैं। केट मिलेट ने महिला–पुरुष संबंधों की जड़ों को देखा है उनके अनुसार पितृसत्ता को कमजोर करने के लिए आवश्यक है कि नारी को पुरुष के बराबर अधिकार मिले। कानूनी रूप से दोनों को समानता प्राप्त हो, नारी को वित्त सम्बन्धी चीजों में भी बराबर अवसर प्राप्त हो। समान वेतन और समान सुविधायें प्राप्त हो महिलाओं की विशिष्ट लिंगीय समस्यायें है उनके समाधान हेतु विशेष प्रावधान हो महिला संघर्षो के हेतु सहानुभूति अन्याय का विरोध साहित्य में उसके संपादन की कोशिश समस्त अधिकारों की अधिकारिणी बने स्वतन्त्र पहचान अर्जित करें अपने संगठन बनाये अपनी खुद की राजनीति करे साथ ही वैकल्पिक राजनीति करें और अपना अस्तित्व प्राप्त करे महिलाओं की लड़ाई मात्र उत्पीड़न तक उसके विरोध तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तावना

वर्तमान में विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके निर्माता उसे आधुनिक बनाने का प्रयास न कर रहे हों। समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी आधुनिकीकरण की अवधारणा पिछले कुछ दशकों से काफी लोकप्रिय हो गयी है। आधुनिकीकरण की अवधारणा नवीन नहीं है जैसा कि ''एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज'' में लिखा है कि आधुनिकीकरण हाल ही में विकसित कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि यह तो सामाजिक परिवर्तन की पुरानी प्रक्रियाओं के लिए नवीन शब्द हैं, जहां कम विकसित देश उन विशेषताओं को अपनाते हैं, जो कि अच्छे विकसित देशों के लिए सामान्य हैं। आधुनिकीकरण राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की एक ऐसी मिली–जुली पारम्परिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐतिहासिक तथा आधुनिक अविकसित समाज को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। डेविड मैक्लीलैण्ड ने आत्मविश्वास और सफलता अभिमुखता को आधुनिक व्यक्ति की पहचान बताया है,

जबकि अर्नाल्ड एडरसन और एडर्वडशीलम ने प्रवीणता एवं कुशलता के विकास और रचनात्मकता को आधुनिकीकरण का लक्षण माना है। भारत मे आधुनिकीकरण मूलतः ब्रिटिश शासन में प्रारम्भ हुआ था, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अत्यन्त तीव्र गति से इसका प्रभाव भारतीय जन जीवन पर छा गया। भारत में कुछ वर्ष पूर्व तक उन महिलाओं को छोड़कर जिन्हें मजबूरीवश आर्थिक तंगी की वजह से कार्य करना पड़ा, अधिकांश शिक्षित महिलाएं लाभप्रद वैतनिक नौकरियों मे नही आयी लेकिन विगत कुछ वर्षों से स्थिति में बदलाव आया है अब न सिर्फ आर्थिक रूप से विवश महिलाएं बल्कि व महिलाये भी कार्योजित हुयी जो एक अच्छा सामाजिक जीवन जीना चाहती है तथा साथ ही परिवार की आय में वृद्धि करना चाहती है। आज महिलायें यह समझने लगी है नौकरी करने से उन्हें एक व्यक्तिगत दर्जा एवं स्वतंत्र सामाजिक अस्तित्व मिलता है।

समाजशास्त्रीय अध्ययन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अध्ययन से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित विशेषताओं का ज्ञान है। समाजशास्त्रीय अध्ययन सामाजिक– सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहार के प्रतिमानों के सन्दर्भ में जो प्राथमिक तथ्य प्राप्त करते हैं उनका विश्लेषण भली–भांति तभी किया जा सकता है, जब अध्ययन में उत्तरदात्रियों की सामान्य विशेषताओं का भली–भांति ज्ञान हो। व्यक्ति की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का उसके दृष्टिकोणों और मनोभावों पर प्रभाव पड़ता है। लिंग, आयु सम्बन्धी विभिन्नता, वर्गीय स्थिति में अन्तर, शैक्षिक उपलब्धि में पायी जाने वाली विभिन्नता, व्यक्ति की मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। अतः सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन द्वारा प्रदर्शित किया है कि सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तन और मानवीय व्यवहार में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ–साथ घरेलू उद्योगों ने भी महिला मजदूरों के कारण अपने व्यवसाय को खूब आगे बढ़ाया है लेकिन इन उद्योगों से भी महिलाओं को पेट भरन से अधिक कुछ नहीं मिल पाया है आज देश के कई घरेलू उद्योग महिलाओं के श्रम के बल पर ही फल–फूल रहे हैं घरेलू उद्योग के रूप में आज अगरबत्ती, कपास, गलीचे, हैंडलूम, पावरलूम, रेडिमेड, गारमेन्ट, बीड़ी आदि के व्यवसाय खूब तरक्की कर रहे हैं इन कामयाबियों का श्रेय इन महिलाओं को ही जाता है। इस कठिन परिश्रम के बाद इन महिला श्रमिकों में पीठ दर्द, आँखों और फेफड़ों की बीमारियाँ भी पाई गई है ये महिलायें तनाव और दबाव की वजह से मासिक धर्म की अनियमितताओं पेट की बीमारियों और अनिद्रा जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है। स्वच्छ जल तथा शौचालय का अभाव होने से इनके गुर्दे भी खराब हो जाते हैं कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शोषित रूप से ही सही, लेकिन इनकी हिस्सेदारी हर जगह हो रही है। आज ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाई–लिखाई पति, एवं परिवार की देखभाल तथा साम्पत्तिक मामलों में भी स्वतन्त्र होती जा रही है वह पैसे का महत्व बहुत ही अच्छी तरह से जानती है और पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना भी जानती हैं कार्य समाप्त करने के बाद घर के लोगों के साथ खेत का कार्य निराई–गुड़ाई से लेकर कटाई तक का काम करती है। जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाना, पशुओं को दाना–पानी देना, दूध दुहना आदि अनेकों कार्य महिलायें करती हैं लेकिन फिर भी उनके प्रति पुरूष उपेक्षा का भाव रखता है। हम उनके समर्पण को, मेहनत को काम के रूप में नहीं देखते हैं जो नारी बाहर काम करती हैं या अपना व्यवसाय करती हैं उनको ही सम्मान मिलता है, उन्हें ही कर्मशील वर्ग में रखा जाता है। आज स्त्री केवल घर का कार्य करती है, ऐसा नहीं है, वह कई मोर्चों पर एक साथ खड़ी नजर आती हैं। वह आज के बदलते परिवेश में स्वयं को आगे रखकर देश, समाज, परिवार की सेवा में तत्पर हैं।

अध्ययन की आवश्यकता : महिलाओं की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत महिलायें गाँवों में ही रहती है जिनमें अधिकतर अशिक्षित हैं अंधविश्वासों की शिकार हैं दिन–रात उबाऊँ कार्य करना और परिवार को पालना ही उनकी जिन्दगी का मकसद है रोजी–रोटी के अभाव में जीवन जीना अत्यधिक कठिन है और फिर अनपेलना उनकी नियति बन जाता है ऐसी औरतें जीवन का नर्क जीती हैं मजबूरी ऐसी की उन्हें तन बेचने को भी बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार श्रमजीवी औरतों की कहीं सरकारी आँकड़ों में कोई गणना नहीं होती ह सरकारी आँकडों में वेतनभोगी औरतें ही श्रमजीवी एवं कामकाजी महिलाओं की गणना में हैं गांवों में गरीब परिवारों के बच्चों को पुष्ट पोषाहार भी नहीं मिलता ऐसी स्थिति में कम उम्र में ही बीमार व कमजोर होकर मृत प्रायः जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। आर्थिक जीवन के प्रौद्योगीकरण ने मानवीय श्रम को कम किया है वहीं जल और वायु प्रदूषण को भी बढ़ाया है समाज के वातावरण को भी गन्दा किया है आदमी को चुभन, थकान, गरीबी, बेकारी, दरिद्रता, मानसिक–चिन्ता और नर–नारी सम्बन्धों को टूटन दी है। आदमी को विलासी बनाया है एक सर्वे के अनुसार कामकाजी महिलायें 94 प्रतिशत असंगठित कर्मकार हैं। उनका निर्बाध आर्थिक एवं शारीरिक शोषण होता है लाचारी में ऐसी महिलायें विरोध भी नहीं कर पाती जीवन को ढ़ायेगी जिन्दगी है तो चुनौतियाँ भी है और उसकी संभावनाएं भी हैं। पितृसत्तात्मक भाव हमारे संस्कार में है ये भाव ही किसी महिला को स्वतन्त्र नहीं होने देते है पुरुष ऐन–केन–प्रकारेण अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है इसकी जड़ बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह बहुत गहरे तक फैली है ऊपर भी जाल बनाकर रखती हैं बरगद उखाड़ना इतना सरल नहीं क्योंकि इसके साथ हमारे

संस्कारगत भाव जुड़े हैं। हमारे संस्कार संस्कृति पश्चिम से भिन्न हैं यहां आस्था पर बल दिया जाता है पर जहां गाली–गलौच, मारपीट, बलात्कार हो, शयन–कक्ष में पति उत्पीड़न करता हो, वहां त्रास का मुकाबला आंसुओं से नहीं एक प्रखर रणनीति अख्तियार करके ही हो सकता है। पहले नारी तन, मन से घर चलाती थी अब इसमें धन भी जुड़ गया है अतः नारी के आंचल की छांव तले ही यह दुनिया सुन्दर बन सकती है। कोई भी समाज सुसंस्कृत समाज कैसे हो सकता है जिसमें एक मालिक हो और दूसरा गुलाम। समस्त स्त्री–जाति का इतिहास भी कुछ इसी तरह का रहा है वह हमेशा पुरुष की गुलामी ही करती रहती है उसे हर हाल में पुरुष अपने कब्जे में ही रखना चाहता है नारी के साथ दुखद घटनायें पग–पग पर घटती हैं सभी घटनाओं को वह प्रायः झेल कर पचा जाती है उसे बोझिल और उबाउ कार्य करना पडता है। बाजार से सामान लाना हो रसोई का काम हो सब कुछ दायित्व उसी पर है उसे अपना जीवन जीने को पलभर नहीं मिलता है ये कैसी आत्मनिर्भरता है जिसमें जीवन मशीन हो गया है।

अध्ययन का औचित्य :आज भी महिला वर्ग का समाजशास्त्र सबसे अलग है देशकाल बदला पर नारी का शोषण नहीं बदला। बदला तो केवल शोषण का रूप, शोषण नये–नये रूप बदलकर नये–नये ढंग से सामने आता रहा नारी की अपनी अलग कोई पहचान नहीं वह अभी भी पति के नाम से ही जानी जाती है। स्त्री हमेशा से पुरुष वासना की शिकार होती रही है महिला होने के कारण ही सदा से मर्दों के हमले झेलती रही है, लुटती रही है, जिस महिला के मालिक कमजोर और गरीब होते हैं ऐसी स्त्रियों को समर्थ लोग भोगते हैं यह युग सत्य है कि समर्थ को पूजा जाता है और उपयोगी को पूछा जाता है। नारी को उपभोग की वस्तु बना उपयोगी बना डाला इसके कारण मनोरंजन के लिए वह एक सर्वश्रेष्ठ साधन बनकर रह गयी पति कैसा भी हो उसको मालिक मान कर उसकी आज्ञा पर चलना उसकी नियति बन गयी है उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं दिखाई देता सभी महिलायें फूलन तो हो नहीं सकती जो अन्याय के विरूद्ध बन्दूक उठा सकें निरक्षर नारी के चेहरे पर दो आंखे तो हैं पर समझ की रोशनी नहीं होने के कारण पग–पग पीड़ा भोगती है फिर चालाक बन्दर बुद्धि के लोग स्त्री को लड़ती बिल्लियाँ बना अपना स्वार्थ गांठते हैं। आज नारी निरन्तर आगे तो बढ़ रही है पढ़–लिखकर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों एवं व्यवसायों में अपनी भागीदारी भी दे रही है किसी भी नारी का आगे बढ़ना संभव हो सकता है जब उसके पति परिजन उसका सहयोग करें, आगें बढ़ने का साहस प्रदान करें। नारी के भीतर तथा स्वयं के भीतर किसी प्रकार का अविश्वास पनपने न दें उसके मार्ग में सहायक बनें बाधक न बनें सास–ससुर को भी चाहिए कि वे परम्पराओं की दुहाई देकर किसी तरह की अड़चन न डाले समय के साथ स्वयं को बदले आज के युग की मांग है कि नर–नारी को अपनी बराबर की सहयोगिनी मानकर चले, दासी और देवी की गरिमा से मुक्त कर उसे मानवी बनने का अधिकार प्रदान करें अधिकार दे। उसे आदमी की तरह जीने का तब ही जीवन कुण्ठा रहित हो सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. जनपद में कार्यरत महिलायें विभिन्न प्रकार की समस्याओं (सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व राजनीतिक) का अध्ययन करना।
2. समाज में व्याप्त परम्परागत प्रथाओं आदि के सन्दर्भ में कार्योजित महिलाओं के विचारों का अध्ययन आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में करना।
3. अनौपचारिक एवं औपचारिक संगठनों के प्रति सहभागिता की प्रकृति एवं सक्रियता का पता लगाना।
4. इनके सेवायोजित होने से कैसे परिवार एवं वैवाहिक जीवनशैली बदल रही है।
5. नगरीय जीवन शैली में अवैयक्तिकता स्वार्थवादिता एवं कृत्रिमता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति किस प्रकार सामाजिक अभियोजन को प्रभावित करती है।

शोध की उपकल्पना

1. जनपद में कार्यरत महिलायें विभिन्न प्रकार की समस्याओं (सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व राजनीतिक) से ग्रसित हैं।
2. समाज में व्याप्त परम्परागत प्रथाओं आदि के सन्दर्भ में कार्योजित महिलाओं के विचारों का अध्ययन आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ता है।
3. अनौपचारिक एवं औपचारिक संगठनों के प्रति सहभागिता की प्रकृति एवं सक्रियता का पता लगाना।
4. इनके सेवायोजित होने से कैसे परिवार एवं वैवाहिक जीवनशैली ग्रामीण अंचलों में पारिवारिक सोच, रूढ़िवादी मानसिकता, पवित्रता–अपवित्रता की भावना, श्रेष्ठता–हीनता की भावना प्रबल रूप से पायी जाती है।

5. नगरीय जीवन शैली में अवैयक्तिकता स्वार्थवादिता एवं कृत्रिमता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति किस प्रकार सामाजिक अभियोजन को प्रभावित करती है।

शोध साहित्य समीक्षा

पॉल, पी.ए. (2017), ''महिला अध्यापिकाओं में अपने वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता'' नामक विषय पर शोध ा कार्य किया। स्त्रियों के अधिकारों की मानवाधिकारों के रूप में जानकारी होना एक क्रान्तिकारी धारणा है। स्त्रियों द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए दिये गये अधिकारों के प्रति बहुत कम जागरूक होना इस बात का प्रतीक है कि प्रचालित प्रथाओं व परम्परावादी दृष्टिकोण के कारण वे आज भी मानवोचित गरिमा व सम्मान पाने से वंचित है। न्यादर्श हेतु हैदराबाद व रंगरेडी जिले की कार्यशील शिक्षिकाओं का चुनाव दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया। महिला शिक्षिकाओं की जागरूकता का स्तर मापने के लिए बारह क्षेत्रों का चुनाव किया गया जिनमें हिंसा, विभेदीकरण, पति विरूद्ध शिकायत, दहेज, तलाक, सम्पत्ति का अधिकार विवाह की वैधानिक आयु, बाल मजदूरी, नियोक्ता व कार्यकर्ता की समस्याये, आत्महत्या व स्त्री संरक्षण मुख्य थे। उपकरण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया जिसमें हर क्षेत्र से सम्बन्धि ात 3 प्रश्न थे। इस अध्ययन का निष्कर्ष निकालने हेतु जागरूकता के स्तर को तीन भागों निम्न, औसत व उच्च में बाँटा गया। यह जानकर अच्छा लगा कि किसी भी न्यायकि स्त्री के अधिकार से सम्बन्धी वैधानिक जागरूकता का स्तर निम्न नहीं था। चरों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 6 में से 2 स्त्रियाँ महिला अधिकारों के प्रति जागरूक पाई गई। आयु व परिवार के आकार सम्बन्धी चर जागरूकता को प्रभावित करते है। अतः युवा अध्यापिकाओं का प्रौढ़ अध्यापिकाओं की अपेक्षा जागरूकता का स्तर अधिक था। उसी प्रकार यह निष्कर्ष भी रूचिपूर्ण था कि संयुक्त परिवार की स्त्रियों में नाभिक परिवार की स्त्रियों से अधिक जागरूकता पाई गई। हर क्षेत्र के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अध्ययन के छः चरों (आयु, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता) व महिलाओं के कानूनी अधिकारों से सम्बन्धित जागरूकता में सहसम्बन्ध पाया गया।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट (2008), भारत में प्रतिदिन महिलाओं के हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। हर 26वे मिनट में एक महिला का उत्पीड़न तथा 34वें मिनट में यौन उत्पीड़न व 43वें मिनट में महिला का अपहरण होता है। 93वें मिनट में एक महिला दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती हैं। पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर हिंसा के मामलों में पिछले दो सालों में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2008 में महिला उत्पीड़न के 55 हजार 439 मामले दर्ज हुए जिनकी संख्या वर्ष 2007 में लगभग 50 हजार थी। भारतीय अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार (2005), महिलाओं में प्रतिदिन होने वाली हिंसा के आँकड़ों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में रेप की नगरी बन चुकी है। जहाँ 15 सितम्बर 2005 तक यौन शोषण के 600 प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज कराये गये हैं, मतलब एक दिन में दो महिलाओं का यौन शोषण। मौजी लाल एम. एण्ड कौशिक पी. (2004) सोर्स क्रियेशनः गुरूनानक जनर्ल्स ऑफ सोशल क्राइम अगेन्स्ट वूमैन। महिलाओं के अपराध गहनता के साथ–साथ समाज पर निर्भर करता है जो कि सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। महिला समाज में तथा जीवन के प्रत्येक चरण में इसे झेलती है। यह उत्पीड़न बलात्कार, हत्या, दहेज, दहेज हत्या, अपहरण, कुपोषण, प्रताड़ना, व्यापार (मानव), इत्यादि के रूप में होता है। यह महिला के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। महिला के विरूद्ध अपराध प्रमुख रूप से समानता, विकास एवं शान्ति को बाधि ात करती है। शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न मानवाधिकार के प्रति एक गंभीर हिंसा है। 1993 में मानवाधिकार के वियेना सम्मेलन का सन्दर्भ में महिलाओं पर केन्द्रित था, बीजिंग में 1995 में महिला सम्मेलन में गरीब एवं मुख्य रूप से शोषण को बिन्दु माना गया। महिलाओं के विरूद्ध अपराध घर के अन्दर एवं घर के बाहर दोनों दशाओं में पाया जाता है। यह अपराधा गरीबी एवं अमीर दोनों परिवारों में पाया जाता है। श्रीमती आशा सिंह (2003) ने अपने अध्ययन में पाया कि महिला उत्पीड़न में विभिन्न वर्गों, जातियों एवं धर्मों की महिलाओं में, उनकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति में क्या परिवर्तन होता है एवं उनकी पीढ़ियों पर महिला उत्पीड़न का क्या असर होता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में उन्होंने जिन पीढ़ियों का अध्ययन किया और पाया कि बच्चे जो देखते हैं उनका अनुस,रण करते हैं। पिता जब उनकी माँ को मारते गालियाँ देते, ठीक उसी प्रकार बच्चा खिलौने (गुड़िया) के साथ तोड़ फोड़ करता है।

शोध संरचनाः सामाजिक शोध में समस्या के चुनाव व निरूपण तथा उपकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात् शोध अभिकल्प या रचना बनाई जाती है इसका काम शोध को एक नया आयाम देना है। इस प्रक्रिया को सही ने के लिए पहले शोध तथा अभिकल्प या रचना शब्दों का अर्थ समझ लेना जरूरी है। सैल्टिज, जहोदा तथा अन्य के अनुसार ''सामाजिक शोध का अर्थ पूर्व अर्जित ज्ञान में संशोधन सत्यापन एवं संवर्द्धन करना है'' अभिकल्प या संरचना शब्द का अभिप्राय रूपरेखा है। एकोफ ने संरचना शब्द की व्याख्या या उपमा द्वारा की है एक भवन निर्माणकर्ता भवन का अभिकल्प या संरचना पहले से ही बना लेता है कि यह कितना बड़ा होगा इसमें कितने कमरे होंगे कौन–सी सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाएगा इत्यादि ये सब निर्णय वह भवन–निर्माण से पहले ले लेता है ताकि भवन के बारे में एक नक्शा बना ले तथा यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो निर्माण शुरू होने से पहले ही किया जा सके।

अध्ययन समग्र एवं न्यादर्श– अध्ययन समग्र या सम्पूर्णता का अर्थ सभी इकाइयों से ज्ञान लेना है। इस समग्रता की इकाई एक समूह समुदाय (गाँव या नगर) तहसील, जिला, राज्य या सम्पूर्ण राष्ट्र हो सकता है निदर्श इस सम्पूर्ण इकाइयों में से चुना हुआ उप समूह है जिसकी सभी इकाइयों में सहायता ली जा सकती है। चुनी हुई इकाइयों के अध्ययन या जानकारी से जिस घटना से सम्बन्धित जो तथ्य उजागर होते हैं उन्हें सम्पूर्ण इकाइयों के लिए सही मान लिया जाता है सामान्यतः यदि सम्पूर्ण समग्र का अध्ययन करना सम्भव भी है तो भी निदर्शन अध्ययनों को ही प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि जब निदर्शन अध्ययन ही पर्याप्त हैं तो फिर समग्र का अध्ययन करने में समय एवं धन का दुरूपयोग क्यों किया जाए लेकिन निदर्श पर आधारित अध्ययनों में एक बात का होना अनिवार्य है और वह है कि निदर्शन का चयन ऐसा हो कि वह सम्पूर्ण को प्रकट करता हो।

निदर्शन प्रविधि के लाभ– वर्तमान समय में इसका उपयोग दिनों–दिन बढ़ता ही जा रहा है वर्तमान समय में संगणना अनुसंधान बहुत ही असुविधाजनक है क्योंकि इसके लिए अत्यधिक मात्रा में समय धन और श्रम की आवश्यकता होगी समय, श्रम और धन की बचत को देखते हुए निदर्शन अधिक लाभप्रद है निदर्शन प्रविधि के लाभ निम्नलिखित है।

1. समय की बचत– इस प्रणाली में सम्पूर्ण से थोड़ा सा भाग लेकर अध्ययन किया जाता है इसलिए इसमें समय की अत्यधिक बचत होती है।
2. धन की बचत– इसमें कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है अतः इससे धन की बचत होती है निदर्शन का संगणना विधि की तुलना में स्टेशनरी फाइलों, कम्प्यूटर कार्यकर्ता प्रशिक्षण यात्रा भत्ता आदि पर कम खर्च करना पड़ता है
3. श्रम की बचत– निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है इस प्रकार निदर्शन में श्रम की बचत होती है।
4. गहन अध्ययन– संगणना विधि में क्षेत्र विस्तृत एवं इकाइयाँ बिखरी हुई होती है अतः उनके बारे में मोटी–मोटी बातें ही ज्ञात की जा सकती हैं निदर्शन में अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है अतः उनके बारे में सूक्ष्म, विस्तृत एवं गहन जानकारी प्राप्त करना सम्भव है।
5. परिणामों की परिशुद्धता– इस विधि में अध्ययनकर्ता का ध्यान थोड़े से भाग में नहीं लगा होता है, जिससे उसका निष्कर्ष अधिक यथार्थ एवं परिशुद्ध होते हैं यदि निदर्श का चुनाव सही तरीके से किया गया है तो कई बार इसके निष्कर्ष संगणना पद्धति के निष्कर्षों से भी अधिक परिशुद्ध होते हैं।

निदर्शन प्रविधि की सीमायें– इसकी सीमायें या दोष इस प्रकार है–

1. **पक्षपात की सम्भावना**– इसमें निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह जाता है निदर्शन का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में अध्ययनकर्ता का प्रभाव एवं पक्षपात आ ही जाता है ऐसी स्थिति में निदर्शन से प्राप्त परिणाम वास्तविक एवं विश्वसनीय नहीं रहते हैं।
2. अनुसंधानकर्ता को निदर्शन की विधियों का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए ताकि सही विधि अपनाकर प्रतिनिधि इकाइयों का चयन तथा उन तक पहुंचा जा सके।
3. **विशेष ज्ञान की आवश्यकता**– इसके लिए अध्ययनकर्ता को प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक है चूँकि निदर्शन का चयन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उत्तम निदर्शन का चयन कर पायेगा निदर्शन निकालने हेतु पर्याप्त सूझ–बूझ, अन्तर्दृष्टि निदर्शन के सिद्धान्तों उसकी कमियों एवं सीमाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें औरैया जनपद की महिलायें हैं। अध्ययन के न्यादर्श चयन हेतु सर्वप्रथम औरैया जनपद में सरकारी इकाइयों को चिन्हित किया गया तद्पश्चात् अध्ययन की वैज्ञानिकता वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखकर उचित निदर्शन पद्धति का उपयोग करके कुल 300 न्यादर्श को चुना गया है। इसके लिए दैव निदर्शन या रैण्डम सैम्पुलिंग द्वारा चयन हुआ है।

निष्कर्ष

आर्थिक जीवन में बढ़ती हुई स्वाधीनता– स्वाधीनता के बाद शिक्षा औद्योगीकरण के फलस्वरूप इनकी आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है स्वतन्त्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की बहुत–सी महिलाएं उद्योगों और घरेलू कार्यों द्वारा जीविका उपार्जित करती थी लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की नारी का बाहर काम करना अनैतिकता समझा जाता था आज एक बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ज्ञान प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया आज शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा समाज कल्याण मनोरंजन उद्योगों और विभिन्न कार्यालयों में इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। यद्यपि व्यक्तिगत

प्रतिष्ठानों और औद्योगिक केन्द्रों में महिला कर्मचारियों की मांग निरन्तर बढ़ रही है, फिर भी मनोवृत्ति में अभी आमूल परिवर्तन न होने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं स्वतन्त्र रूप से वे महिलाएं जो अपनी जीविका का अर्जन स्वयं कर लेती हैं, वे दूसरी महिलाओं हेतु आकर्षण का कार्य करती है और परिवार में उनके महत्व को देखकर दूसरी महिलाएं भी प्रोत्साहित होती हैं। आज उनके आत्मविश्वास कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस महिला से किसी प्रकार नहीं की जा सकती जो आज से कुछ ही वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घूँघट में समेटे हुए और पुरुष के शोषण को सहन करती हुई घूँघट में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थी।

अधिकारों में बढ़ोत्तरीः आज की महिला पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसके सहयोगी और मित्र है परिवार में उसकी स्थिति एक याचिका की न होकर प्रबन्धक की है अब वह बलिदान करके शोषण में रहने को तैयार नहीं है बल्कि वह एक स्वतन्त्र एकांकी परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपभोग करने के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा, प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में महिला की इच्छा का महत्व निरन्तर बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे हैं कि उन्हें परिवार के विघटन का भय हो गया है जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी यह चिन्ता अपने एकाधिकार में होती हुई कमी के कारण उत्पन्न हुई है। आज की नयी पीढ़ी तो स्वयं महिलाओं को आगे रखना चाहती और यदि किसी कारण उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा गया तब आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लेगी। पूर्व में परिवारों में संयुक्त परिवार प्रथा थी जिसमें सामूहिक संरक्षण एवं सहयोग रहता था आज महिलाएं अपनी स्वतन्त्रता हेतु इस तरह परिवार को महत्व नहीं देती हैं। इसके फलस्वरूप परिवार विघटित हो रहे हैं तथा वे बाहर काम पर जा रही हैं इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है नगरीकरण को बढी–लिखी लड़कियों के विवाह में समस्याएं बाने के लिए ही हुआ है वह उपभोग की वस्तु है नारी की इस हीन भावना ने ही नारी को पतन के रास्ते पर उतारा है नारी पत्र–पत्रिकाओं में व दूरदर्शन आदि में विज्ञापन की चीज बनती जा रही है सिनेमा क्षेत्र में नारी का खुला शोषण होता है संचार माध्यमों में नारी का अर्धनग्न रूप प्रस्तुत कर उसे कामुक चित्रित किया है जिससे आदमी की मानसिकता को विकृत होने में मदद मिलती है इस सबसे समाज में बड़ी विकृति आयी है आज भी नारी अन्धविश्वासों रीति–रिवाजों का शिकार है नारी आज भी महत्वपूर्ण फैसले स्वयं नहीं लेती है केवल स्वीकारती है विवशता के कारण कदम दर कदम उसे डाँट भी खानी पड़ती है गरीब परिवारों में तो औरतों को अधिक श्रम करना पड़ता है उनके श्रम का शोषण होता है।

अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणाएं– कार्यालयों उद्योगों में जमी महिलाओं को देखकर महिलावादी खुश होते हैं कि देखो महिला–सशक्तिकरण सफल हुआ। पहला सवाल यह है कि क्या कामकाजी शब्द ठीक है? जीविकोपार्जन में लगी महिलाओं को कामकाजी कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या यह हुआ कि जो महिलायें घर में रहकर घरेलू कार्य करती है। वे महिलायें काम ही नहीं करती है वास्तव में यह एक विडम्बना ही है कि पारिवारिक काम कभी काम नहीं समझा गया कि घर के काम की कितनी अहमियत होती है यह शहरों महानगरों में कामवाली के अभाव और नखरों से ही पता चल जाता है यहां बात उन महिलाओं की हो रही है जो घर–परिवार के अतिरिक्त नौकरी आदि करती है व्यापार कृषि आदि में लगी हुई हैं। हमारा देश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है और, अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। और कृषि कार्य करते है हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अब भी लगभग एक चौथाई है। गांवों की महिलायें रात–दिन काम में लगी रहती हैं घर–परिवार के अतिरिक्त खेतों और पशुओं का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है। तब भी गांवों में उन्हें कामकाजी नहीं कहा जाता है। भारत विश्वभर में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है यह दूध कैसे आता है। पशुओं को पालने उनकी देखभाल करने और दूध दुहने का काम महिलाएं ही करती है लेकिन उनके द्वारा किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके इस योगदान को कोई नहीं मानता है। वास्तविकता तो यह है कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं कि महिलाओं का भी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान होता है। एक महिला को घर–गृहस्थी के अलावा बाहरी जिम्मेदारियां सम्भालनी पड़ती हैं इसलिए उनकी समस्यायें भी दोगुनी होती हैं।

दोहरी भूमिका की समस्या– कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी से सम्बद्व कार्यो के अतिरिक्त घर के भी कामकाज देखने पड़ते है। इस प्रकार उन पर काम का बोझ भी अधिक होता है, जिसका उनके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

निम्न मजदूरी की समस्या– अधिकांशतः महिलाओं को कुछ चुने हुए कार्यो में ही रोजगार के अवसर मिलते हैं ,जैसे शिक्षा, खेती, हस्तशिल्प तथा अन्य कार्य जो उनके शारीरिक क्षमता या शिक्षा से सम्बंधित होते हैं। इन सीमित व्यवसायों में रोजगार की इच्छुक महिलाओं की संख्या अधिक होती है। कई नियोजक प्रसूति की स्थिति में अवकाश तथा प्रसूति–हितलाभ, शिशुगृह की स्थापना की अनिवार्यता तथा महिलाओं के रात्रि में कार्य करने तथा खतरनाक कामों पर कानूनी प्रतिबंधों के कारण महिलाओं को नियोजित नहीं करना चाहते। इन कारणों से महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्ययन में ज्ञात हुआ कि पुरूषों की औसत

मजदूरी शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत ही रही हैं।

कार्य की कठिन दशाओं की समस्या– जैसा कि सर्वविदित है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को कई घंटों तक कार्य करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कार्यस्थल पर तनाव का सामना करना पड़ता हैं तथा कई कारखानों में खतरनाक मशीनों या प्रक्रियाओं में नियोजित किया जाता है। कार्यस्थल पर उन्हें विश्राम के अभाव, अपर्याप्त प्रकाश, असुरक्षा, रोग इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रसूति से उत्पन्न समस्या– महिला कार्मिकों की अत्यन्त जटिल समस्या प्रसूति से उत्पन्न समस्या है। जिसके कारण उन्हें प्रसूति की अवधि में अवकाश, वेतन या प्रसूति–हितलाभ की आवश्यकता होती है जिसके कारण अधिकांश नियोजक उन्हें प्रसूति की अवस्था में महिला श्रमिकों को काम से हटा देते है और उन्हें इस अवधि में मजदूरी भी नही देते है। कई प्रकार के व्यवसायों में उन्हें गर्भावस्था में किसी प्रकार की चिकित्सा–सुविधा भी नहीं मिल पाती है।

आवास और यातायात की समस्या– असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अपने घर से काफी दूर स्थित कार्यस्थल पर जाना पड़ता है। साथ ही महिला कार्मिकों को अन्य क्षेत्रों में आवास की समस्या का भी सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मानसिक व स्वास्थ्य तनाव का सामना करना पड़ता है।

मनोरंजन की समस्या– असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर अत्यधिक घंटों तक कार्य करना पड़ता है साथ ही कार्यस्थल पर मनोरंजन का अभाव भी होता है और वे घर व बाहर के कामों के बोझ में दबी रहती है। अत्यधिक काम और मनोरंजन के अभाव का उनके स्वास्थ्य व स्वभाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

कार्यावधि की अधिकता एंव न्योक्ता सम्बंधी समस्या– असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को अधिकांश समय कार्यस्थल पर व्यतीत करना पड़ता है। कार्यस्थल पर वे 4 से 8 घंटा व्यतीत करती हैं। साथ ही उन्हें कार्यस्थल पर घर से जुड़ी समस्या तथा न्योक्ता सम्बंधी दोनो समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कार्य की सामयिक प्रकृति की समस्या– असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की प्रमुख समस्या उनके कार्य की सामयिक प्रकृति का होना है। इस प्रकृति के कारण महिला श्रमिकों को यह भय बना रहता है कि कभी भी इनको यह व्यवसाय छोड़ना पड़ सकता है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं विभिन्न प्रकार की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। अज्ञान, परम्परागत दृष्टिकोण, निरक्षरता, रोजगार की सामयिक प्रकृति, विभिन्न प्रकार के शारीरिक शोषण, नौकरी का अस्थायी स्वरूप, कानूनी ज्ञान की कमी इत्यादि के कारण असंगठित क्षेत्रों की महिलाएं, संगठित क्षेत्रों की महिलाओं से प्रतिर्स्पधा नहीं कर पाती हैं। रोजगार में प्रतिर्स्पधा के कारण असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं को उनकी मजदूरी या वेतन से वंचित होना पड़ता है। साथ ही साथ विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की तुलना में कार्यकुशलता तथा उद्यमी दोनों प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित क्षेत्रों की महिलाओं की भांति विकास का लाभ नहीं मिल पाता है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची–

1. शर्मा, रमा; मिश्रा, एम०के०; भारतीय समाज में कार्यशील महिलायें; अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस; नई दिल्ली (2020) पृ०–58–59.
2. वर्मा अंजली; भारत में कार्यशील महिलायें, ओमेंगा पब्लिकेशन नई दिल्ली (2013) पृ०–64.
3. गुप्ता, कमला; भारतीय नारी (प्रारम्भ से 2000ई० तक), जानकी प्रकाशन (नई दिल्ली) (2012) पृ०–05.
4. गुप्ता, प्यारेलाल–प्राचीन छत्तीसगढ़, रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्लख विश्वविद्यालय,1973
5. चिरंजीवी, जे. निर्मल– ह्यूमॅन राइट्स कीशन, रायपुर सितम्बर 2001, दिसम्बर
6. अड्डा, चँद–पालिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, ग्लोबल सर्वे, यू.पी.एच.पब्लिकेशन, 1985

7. अरात, जेहरा एफ–डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन डेवलपिंग रेट्रीस, लंदन, कीन रीलर, 1991
8. इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, 2 भाग, नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन्स डिहीजन, 1987
9. यूनाइटेड नेशन्स इन दि फील्ड ऑफ ह्यूमॅन राइट्स, न्यूयार्क, यूनाईटेड नेशन्स, 1983
10. वर्ल्यानी, जे. आर. एंड व्ही. डी. साहसी–बस्तर और कांकेर रियासत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कांकेर, दिव्या प्रकाशन, 1948
11. सदरलैंड, एडविन एच. एंड डोनाल्ड आर. क्रेसी–प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, बम्बई, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस,1965
12. कपाड़िया,मनोज., 2008, 'स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता' सीरियल्स पब्लिकेशन ,नई दिल्ली।
13. जैन,कामिनी, एवं मुरे,संध्या., (2012) 'कार्यकारी महिलाएं' रीगल सीरियल्स पब्लिकेशन,नई दिल्ली,पृ0 67

Cite this Article-

'कृष्ण मोहन, डॉ0 रश्मि पाण्डेय, 'असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:06, June 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i600016

Published Date- 10 June 2025